



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 299) पटना, सोमवार, 12 अप्रील 2021

IE 27@vkjki&01&96@2019&4117@lk0i0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

24 मार्च 2021

मो० मुस्ताक, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 692/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, चरपोखरी, भोजपुर के पदस्थापन अवधि में अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यों से अनुपस्थित, ससमय कार्यालय में उपस्थित नहीं होना एवं विभागीय स्तर से भी दिये गये निदेशों का पालन नहीं करने संबंधी आरोपों के लिये जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र "क" गठित किया गया, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से इस विभाग को प्राप्त हुआ।

2. मो० मुस्ताक को आरोप एवं साक्ष्य की प्रति विभागीय पत्रांक 1394 दिनांक 27.01.2012 द्वारा भेजते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु कई स्मार पत्रों के पश्चात् भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत मो० मुस्ताक के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 15429 दिनांक 05.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा इसकी जांच हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना को हस्तांतरित किया गया। संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1263 दिनांक 18.09.2019 द्वारा मो० मुस्ताक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा मो० मुस्ताक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र "क" में लगाये गये कुल 09 आरोपों में से आरोप संख्या 01, 02, 03, 04, 06, 07 एवं 09 को प्रमाणित, आरोप संख्या 05 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या 08 को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित आरोपों के लिए मो० मुस्ताक से विभागीय पत्रांक-244 दिनांक 08.01.2020 द्वारा बचाव बयान/अभ्यावेदन की मांग की गयी।

5. उक्त के आलोक में मो० मुस्ताक के पत्रांक-04 दिनांक-13.01.2021 द्वारा बचाव बयान/अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोपवार स्थिति स्पष्ट करते हुए आरोपों से इंकार किया गया तथा आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं मो0 मुस्ताक द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त मो0 मुस्ताक द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन से असहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत उन्हें 'दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक' का दंड विनिश्चित किया गया।

7. मो0 मुस्ताक के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-12135 दिनांक-18.12.2020, पत्रांक-1113 दिनांक-27.01.2021 एवं पत्रांक-2089 दिनांक-17.02.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक-3642 दिनांक-12.03.2021 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 मुस्ताक द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत मो0 मुस्ताक, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 692/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, चरपोखरी, भोजपुर को "दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का" दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 299-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>